वि.स. अता. प्र. → 5069 परिशिष्ट - 'अ' [23/3/2021] (1)

प्रश्न सं. [क्र. 5069]

5. सामान्य पूल के आवास आवंटन के आवेदन पत्रों के निराकरण की शक्ति तथा पात्रता सूची तैयार करना

1. 1. "सामान्य पूल से मध्यप्रदेश शासन के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्यरत नियमित सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवास आवंटन की पात्रता होगी।" स्पष्टीकरण - सामान्य पूल से तदर्थ, दैनिक वेतनभोगी, कंटींजेंसी तथा कार्यभारित कर्मचारियों को आवास आवंटन की पात्रता नहीं होगी।
2. 'ए' 'बी' 'सी' 'डी' एँव 'ई' श्रेणी के आवासों के मामले का निराकरण मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग द्वारा किया जाएगा ।
3. 'एफ' 'जी' 'एच' और 'आई' श्रेणी के आवासों के मामले का निराकरण संपदा संचालनालय द्वारा किया जाएगा ।
4. 'बी' 'सी' 'डी' एवं 'ई' श्रेणी के आवासों के लिए 'अग्रता तारीख' से ताप्पर्य ऐसी पूर्व तारीख से हैं जिससे कोई शासकीय कर्मचारी ऐसे विशिष्ट प्रकार के आवास से संगत, जिसके लिए वह हकदार हो, उपलब्धियां लगातार पाता रहा हो । एक ही तारीख से दो या दो से अधिक अधिकारियों को एक समान वेतन मिलने पर उनकी पारस्परिक वरिष्ठता उनकी भोपाल पदस्थापना की अवधि के आधार पर निर्धारित की जाएगी ।
5. 'एफ' श्रेणी के आवासो में से 50 प्रतिशत आवास भोपाल में पदस्थापना की तारीख के आधार पर वरिष्ठताक्रमानुसार आवंटित किये जाएँगे । शेष 50 प्रतिशत आवासों को ऐसी ' अग्रता तारीख ' के आधार पर आवंटित किया जाएगा , जिस तारीख से कोई शासकीय अधिकारी / कर्मचारी ऐसे आवास से संगत उपलब्धियां लगातार पाता रहा हों ,
6. 'जी' एवं 'एच' श्रेणी के आवास के लिये प्राप्त आवेदनों की भोपाल में नवीन पदस्थापना की तारीख के आधार पर वरिष्ठतानुसार सूची तैयार की जाएगी ।
7. 'आई' श्रेणी के आवासों के लिये प्राप्त आवेदनों की भोपाल मे नवीन पदस्थापना की तारीख के आधार पर वरिष्ठतानुसार सूची तैयार की जाएगी , जिसे प्रत्येक दो वर्ष में अद्यतन किया जावेगा । इस सूची में केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो के आवेदन सम्मिलित किये जायेगें ।
8. किसी अधिकारी / कर्मचारी का भोपाल से बाहर स्थानांतरण होने / सेवानिवृत्त/त्यागपत्र/सेवा से पृथक किए जाने /स्वर्गवास होने पर या अन्यथा अपात्र होने पर संपदा संचालनालय द्वारा तैयार की गई वरिष्ठता सूची से उनका नाम आवंटन हेतु विचार क्षेत्र से बाहर किया जा सकेगा।

16/3/21

Section Officer
Govt. of Madhya Pradesh,
Home Department

(2)

9. मध्यप्रदेश के उपक्रम, शासकीय संगठन , निगम , मंडल तथा सहकारी संस्थाओं , के अधिकारियों/ कर्मचारियों को सामान्य पूल के शासकीय आवासों के आवंटन की पात्रता नहीं होगी , परन्तु लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से विशेष परिस्थितियों में राज्य शासन प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ शासकीय सेवक को आवास आवंटित कर सकेगा । यह आवंटन प्रतिनियुक्ति की वास्तविक अवधि अथवा तीन वर्ष, इनमें से जो कम हो, के लिए होगा । तीन वर्ष उपरांत प्रतिनियुक्ति जारी रहने पर इसे अधिकतम एक वर्ष तक बढाया जा सकेगा ।

16/3/21

Section Officer
Govt. of Madhya Pradesh,
Home Department

(3)

मध्यप्रदेश शासन
गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

क्रमांक-एफ 1-138/97/दो-ए(3)

भोपाल, दिनांक 12.10.2000

प्रति,

संचालक,
संपदा संचालनालय,
भोपाल.

विषय :- भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम-2000-"एफ" श्रेणी के शासकीय आवास राजपत्रित श्रेणी के अधिकारियों को आवंटित करने के संबंध में ।

राज्य शासन एतद् द्वारा भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 के नियम 5 (5) में "एफ" श्रेणी आवास आवंटन की पात्रता के लिए निम्नानुसार वाक्य जोड़ा जाता है :-

"एफ" श्रेणी के आवास की पात्रता के लिए राजपत्रित अधिकारी होना आवश्यक है ।

2. यह संशोधन 1.7.2000 से प्रभावशील होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(एस. एस. कोल)
उपसचिव
म.प्र. शासन, गृह (आवास) विभाग

भोपाल, दिनांक 12.10.2000

पृ0 क्रमांक-एफ 1-138/97/दो-ए(3)

प्रतिलिपि:-

1) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश.
2) सचिव, विधानसभा सचिवालय, भोपाल.
3) शासन के समस्त विभाग
4) समस्त विभागाध्यक्ष, भोपाल.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव
म.प्र. शासन, गृह (आवास) विभाग.

Section Officer
Govt. of Madhya Pradesh,
Home Department

//ओपी//